सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1938 (श०)

संख्या 363 राँची, मंगलवार,

24 मई, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 मई, 2016

संख्या-एल0जी0-07/2016-96/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक-**13 मई, 2016** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2016

(झारखंड अधिनियम संख्या-15,2016)

झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-43, दिनांक-25 जनवरी 2006 द्वारा अधिनियमित झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम-2005 {झारखण्ड अधिनियम 03,2006, यथासंशोधित गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2012 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2012, अधिसूचना संख्या-223, दिनांक-03 मई, 2012)} को झारखण्ड राज्य में लागू एवं प्रवर्तन करने के लिए संशोधन हेतु अधिनियम

(59)

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-**
   1. यह अधिनियम झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलायेगा ।
   2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   3. यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. **झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03, 2006) की धारा 8(1) में संशोधन।**

झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 03,2006, गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 8(1) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जायेगी:-

इस निमित्त नियमावली की शर्तो के अधीन एक गृह रक्षक को चार वर्षो के लिए (प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि सहित) राज्य सरकार को सेवा देनी होगी तथा उन्हें किसी भी समय कर्त्तव्य पर बुलाया जा सकेगा किन्तु उनकी उम्र 60 (साठ) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 मई, 2016

संख्या-एल0 जी0-07/2016-97--लेज झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-**13 मई, 2016** को अनुमत **झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) अधिनियम, 2016** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

THE JHARKHAND HOME GUARD (AMENDMENT) ACT, 2016

(Jharkhand Act -15, 2016)

An Act further to amend the section 8(1) of the Jharkhand Home Guards Act, 2005 [Jharkhand Act 03, 2006, as amended by the Jharkhand Home Guard (Amendment) Act 2012 (Jharkhand Act 16 of 2012 having Notification No.-223 dated 03 May 2012)] having Notification no.-43, dated the 25th January, 2006 in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Jharkhand in the Sixty seven[th] Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement :-**

1. This Act will be called the Jharkhand Home Guards (Amendment) Act, 2016.
2. It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
3. It shall come into force from the date of Notification in the official Gazette.

2. **Amendment of Section 8(1) of the Jharkhand Home Guards Act, 2005 (Jharkhand Act, 03, 2006): -**

The section 8(1) of the Jharkhand Home Guards Act, 2005 [Jharkhand Act 03, 2006 as amended by the Jharkhand Home Guards (amendment) Act 2012] will be substituted as follows:-

Subject to any rules made in this behalf, a Home Guard shall be required to serve the State Government for period of four years (including the period spent in training) and shall be liable to be called out for duty at any time but not beyond the age of 60 (Sixty) years.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 363—50 ।